

रखा है

माननीय श्रीमान जन सूचना अधिकारी साहब  
रवाला कॉलेज, मैन कैम्पस  
दिल्ली-विश्वविद्यालय, दिल्ली-7-

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(3), 6(1)  
8(1) व 5-(e) के तहत - पत्र।

महोदय जी, प्राची खिरेन्द्र सिंह श्री/0 स्क्. श्री समे सिंह श्री/0 - पब्लिक  
वर्ड नं 6, टाईरिस्क वर्ड, सेंट्रल जेल नं - 1, लिहाड़, दिल्ली-64  
अपने सवाल का जवाब राष्ट्रीय आण अधिनियम 2005 के  
तहत हिन्दी में जवाब चाहता हूँ। R.T.I. ACT - 2005  
की धारा 7 (3) के तहत पत्र मिलने के बाद 48 घण्टे  
में जवाब देने के लिए बाध्य हूँ - प्राची की आपके उत्तर  
पत्र से न्यायालय से न्याय मिल सकता है। जिसके स्व  
में प्राची र-18/2 का फॉरवर्ड आर्डर नं - 92E-4/2194  
साथ संलग्न करके प्रेषित है।

प्रश्न नं 1 :- आपके कॉलेज से B. Com. (P) में ग्रेजुएशन करने  
के बाद - " इसी ग्रेजुएशन के आधार पर B. Com. -  
(Hon.) टूलीम - वर्ष में टारिवला हो जाता है। इसकी संक्षिप्त  
में जानकारी देने की कृपा करें।

प्रश्न नं 2 :- दिल्ली-विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सभी कॉलेजों में  
एक समान शिक्षा - नियम लागू होते हैं - इसकी संक्षिप्त  
में जानकारी देने की कृपा करें।

प्राचना :- उपरोक्त लिखित प्रश्न सेक्टर लागू होने से पहले  
से संबंधित है।

दिनांक  
08/08/2011 (सोम)

प्राची  
(खिरेन्द्र)  
खिरेन्द्र सिंह  
श्री/0 स्क्. श्री समे सिंह  
वर्ड नं 6, टाईरिस्क वर्ड  
सेंट्रल जेल नं - 1, लिहाड़



Phone: 27667469, 27666220 (fax) khalsasgtb@vsnl.com, sgibkdel@del3.vsnl.net.in, khalsadu@gmail.com  
**SRI GURU TEGH BAHADUR KHALSA COLLEGE**  
**UNIVERSITY OF DELHI**  
**DELHI-110007**

Ref. No: RTI/1145 — 1146

Dated : 16.08.2011

17

Sh. Jitender Singh S/o. (Late) Sh. Samay Singh,  
Ward No. 6, High Risk Ward,  
Central Jail No.- 1, Tihar,  
Delhi - 110064.

Dear Sir,

Reference your application dated 08.08.2011 seeking information under RTI Act 2005. This is to inform that the information asked for in your application pertains to University of Delhi Act, Statutes and Ordinances governing admissions and related rules. The desired information may be sought from concerned University of Delhi office/s.

Inability to provide the information is regretted.

Yours sincerely,

(Jaswinder Singh)  
Appellate Authority  
In the absence of PIO

CC :

The Public Information Officer, University of Delhi, Delhi-7 alongwith copy of the application of the applicant